सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जेठीदेवी बनाम संतोषदेवी

05.07.2019

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। दौराने बहस दोनों पक्षकारों द्वारा अपील को रिमाण्ड किये जाने का कथन किया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अपने आपको भीखीदेवी की पुत्री बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका अपीलांट्स ने खण्डन नहीं किया है। यदि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी संतोष भीखीदेवी की पुत्री है तो स्वतः ही मूलचन्द की प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने मूलचन्द की विरासत पर अपना दावा किया है। दावा विचाराधीन रहने के दौरान विवादित सम्पति के अन्तरण का औचित्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत आदेश है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–02–2012 यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner